<u>अनुबंध - ।।।</u> (प्ररूप-6 के लिए)

घोषणा* (पहली बार नया पंजीकरण चाहने वाले 21+ आयु-समूह के निर्वाचक के लिए)

मैं, 	,	~ ~			.निवासी
	निर्वाचन-क्षेत्र की है क्योंकि मेरा नाम भारत में कहीं				आवेदन
	मुझे विगत में किसी भी निर्वाच न कार्ड (एपिक) जारी नहीं किया गय		भी समय व	गेई भी निर्वाच	क्र फोटो
स्थानः				आवेदक के ह	हस्ताक्षर
दिनांक	. :				

*(निर्वाचक नामावली को तैयार/पुनरीक्षित करने से संबंधित मामलों में मिथ्या घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 31 तथा भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अधीन एक दण्डनीय अपराध है)